

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 2294] No. 2294] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 20, 2015/आश्विन 28, 1937 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 20, 2015/ASVINA 28, 1937

# वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

## <u>आदेश</u>

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2015

का.आ. 2878(अ).— जबिक भारत सरकार के मंयुक्त सचिव, जिन्हें स्वापक औषधि तथा मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से शिक्त प्राप्त है, ने उक्त उप-धारा के अधीन फा. सं. 801/26/2002 - पीआईटीएनडीपीएस के अंतर्गत जारी दिनांक 28.03.2002 के नज़रबंदी आदेश के अंतर्गत निर्देश दिया था कि श्री किशोर भट्ट, मुपुत्र श्री रमणीकलाल भट्ट, निवासी 8-ए, नवजीवन सोसायटी, फ्लैट सं. 6, दूसरा तल, लैमिंगटन रोड, मुंबई को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थों का अवैध व्यापार करने से रोकने के उद्देश्य से उन्हें जिला कारागार, मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) में नजरबंद किया जाए तथा हिरासत में रखा जाए।

- 2. जबिक केंद्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उपर्युक्त व्यक्ति फरार है या अपने आपको छिपा रहा है ताकि उक्त नजरबंदी के आदेश का पालन नहीं हो ।
- 3. अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त व्यक्ति, सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर, श्री जे. के. मिश्रा, आई. ओ., अधीक्षक (वसूली), सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय, गाजियाबाद, सीजीओ काम्प्लेक्स, पुरानी हापुर चुँगी, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद के समक्ष पेश हो।

[फा. सं. 801/26/2002 – पीआईटीएनडीपीएस]

विनेश पचनंदा, अवर सचिव

4496 GI/2015 (1)

#### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2015

- S.O. 2878(E).— Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued a detention order under F. No. 801/26/2002-PITNDPS dated 28.3.2002 under the said sub-section directing that Shri Kishore Bhatt s/o Shri Ramniklal Bhatt, R/o.8-A, Navjeevan Society, Flat No.6, IInd floor, Lamington Road, Mumbai be detained and kept in custody in the District Jail, Moradabad (Uttar Pradesh) with a view to preventing him from engaging in illicit trafficking of narcotic drugs & psychotropic substances.
- 2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the said detention order cannot be executed.
- 3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before Shri J.K.Mishra, I.O., Superintendent (Recovery), Office of the Commissioner Customs & Central Excise, Ghaziabad, CGO Complex II, Old Hapur Chungi, Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad, within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 801/26/2002-PITNDPS]

VINESH PACHNANDA, Under Secy.